

**फार्म-एनबीएस 2**

मार्च/सितंबर 200.. की समाप्ति की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधियों, जोखिम परिसंपत्ति/ऋण (एक्सपोजर) तथा जोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि का छमाही विवरण

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का नाम और पता	
कंपनी की कोड सं. (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई)	
पंजीकरण सं. (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई)	
कंपनी का वर्गीकरण (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया)	

(लाख रुपए में)

भाग - क		
मद का नाम	मद कोड	राशि
<b>पूंजीगत निधियां - टियर I</b>		
(i) चुकता ईक्विटी पूंजी	111	
(ii) वे अधिमान शेयर जिन्हें अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तित किया जाना हो	112	
(iii) मुक्त आरक्षित निधियां		
(क) सामान्य आरक्षित निधि	113	
(ख) शेयर प्रीमियम	114	
(ग) पूंजीगत आरक्षित निधि (अलग खाते में रखी परिसंपत्तियों के विक्रय पर अधिशेष को दर्शाती हों)	115	
(घ) डिबेंचर शोधन आरक्षित निधि	116	
(ङ) पूंजीगत शोधन आरक्षित निधि	117	

(च) लाभ और हानि खाते में जमा शेष	118	
(छ) अन्य मुक्त आरक्षित निधि (विनिर्दिष्ट किए जाएं)	119	
<b>कुल (111 से 119)</b>	<b>110</b>	
(iv) हानि का संचित शेष	121	
(v) आस्थगित राजस्व व्यय	122	
(vi) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	123	
<b>कुल (121 से 123)</b>	<b>120</b>	
(vii) स्वाधिकृत निधि (110-120)	<b>130</b>	
(viii) निम्नलिखित के शेयरों में निवेश		
(क) सहायक कंपनियां	141	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	142	
(ग) अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	143	
(ix) डिबेंचरों, बांडों, बकाया ऋण और अग्रिमों, खरीदे गए और भुनाए गए बिलों (किराया खरीद तथा पट्टा वित्त सहित) के बही-मूल्य और निम्नलिखित के पास रखी जमाराशियां		
(क) सहायक कंपनियां	144	
(ख) उसी समूह की कंपनियां	145	
<b>(x) कुल (141 से 145)</b>	<b>140</b>	
(xi) मद 140 की राशि, जो उपर्युक्त मद 130 के 10% से अधिक है	<b>150</b>	
(xii) टियर - I पूंजी		
निवल स्वाधिकृत निधि (130-150)	<b>151</b>	

(लाख रुपए में)

भाग - ख		
मद का नाम	मद कोड	राशि
<b>पूंजीगत निधि - टियर II</b>		
(निदेश का पैरा 2(1)(xx)(ख))		
(i) अनिवार्यतः ईक्विटी में परिवर्तनीय से इतर अधिमानी पूंजी शेयर	161	

(ii) पूनर्मूल्यन आरक्षित निधि	162	
(iii) सामान्य प्रावधान और हानि आरक्षित निधि	163	
(iv) संमिश्र ऋण पूंजी लिखत	164	
(v) गौण ऋण	165	
(vi) कुल टियर-II पूंजी (मद 161 से 165)	<b>160</b>	
<b>कुल पूंजी निधि (151 + 160)</b>	<b>170</b>	

(लाख रुपए में)

भाग -ग		
मद का नाम	मद कोड	राशि
<b>जोखिम परिसंपत्ति और तुलन पत्र से इतर (ऑफ बैलेंस शीट) मदें</b>		
(i) निधिक जोखिम परिसंपत्ति का समायोजित मूल्य अर्थात् तुलन पत्र की (आन-बैलेंस शीट) मदें (भाग घ से मिलना चाहिए)	181	
(ii) अनिधिक और तुलन पत्र से परे मदों का समायोजित मूल्य (भाग ड से मिलना चाहिए)	182	
(iii) जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियां/एक्सपोजर (181 + 182)	180	
(iv) जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों/एक्सपोजरों की तुलना में पूंजीगत निधियों का प्रतिशत		
(क) टियर -I पूंजी (मद 151 का मद 180 से प्रतिशत)	191	
(ख) टियर -II (मद 160 का मद 180 से प्रतिशत)	192	
(ग) कुल (मद 170 का मद 180 से प्रतिशत)	193	

(लाख रूपए में)

भाग -घ				
भारित परिसंपत्तियां अर्थात् तुलन पत्र की मदें				
मद का नाम	मद कोड	बही मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
I. सावधि जमा तथा जमा प्रमाणपत्रों सहित नकदी और बैंक शेष	210		0	0
II. निवेश (निदेश का पैरा 6 देखें)			0	0
(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित अनुमोदित प्रतिभूतियां	221		0	0
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बांड				
(i) भाग 'क' मद (x) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	222क		0	
(ii) भाग 'क' मद (x) में न काटी गई राशि (मद कोड 150)	223क		20	
(ग) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की सावधि जमा/जमा प्रमाणपत्र/बांड				
(i) भाग 'क' मद (x) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	224क		0	0
(ii) भाग 'क' मद (x) में न काटी गई राशि (मद कोड 150)	225क		100	
<b>उप जोड़ (222क+223क+224क+225क)</b>	<b>225क</b>			
(घ) सभी कंपनियों के शेयर एवं कंपनियों के डिबेंचर/ बांड/वाणिज्यिक पत्र एवं मुचुअल फंड की यूनितें				
(i) भाग 'क' मद (xi) में काटी गई राशि (मद कोड 150)	226		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	227		100	
<b>उप-जोड़ (226 + 227)</b>	<b>उप जोड़ 227</b>			
III. चालू परिसंपत्तियां				

(क) किराए पर स्टॉक (कृपया नीचे का नोट 2 देखें)				
(i) भाग 'क' [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	231		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	232		100	0
<b>उप-जोड़ (231+232)</b>	<b>उप-जोड़ 232</b>			
(ख) अंतर-कंपनी ऋण/जमाराशि				
(i) भाग 'क' [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	233		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	234		100	
<b>उप-जोड़ (233 + 234)</b>	<b>उप जोड़ 234</b>			
(ग) कंपनी की अपनी जमाराशियों से पूर्णतः रक्षित ऋण और अग्रिम	235		0	0
(घ) स्टाफ को ऋण	236		0	0
(ङ) अन्य जमानती ऋण और अग्रिम जो अच्छे माने गए				
(i) भाग क [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	241		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	242		100	
<b>उप-जोड़ (235+236+241+242)</b>	<b>उप जोड़ 242</b>			
(च) खरीदे/भुनाए गए बिल				
(i) भाग 'क' [मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	243		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	244		100	

<b>उप-जोड़ (243+244)</b>	<b>उप-जोड़ 244</b>			
(छ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	245		100	
<b>IV. अचल परिसंपत्ति (मूल्यहास को घटाकर)</b>				
(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां				
(i) भाग 'क' [ मद (xi) मद कोड 150] में काटी गई राशि	251		0	0
(ii) भाग 'क' में न काटी गई राशि	252		100	
<b>उप जोड़ (251+252)</b>	<b>उप-जोड़ 252</b>			
<b>कुल ऋण जोखिम (एक्सपोजर) (उपजोड़ 232 + उप जोड़ 234 + उपजोड़ 242 + उपजोड़ 244+245 + उपजोड़ 252)</b>	<b>सीटी 200</b>			
(ख) परिसर	253		100	
(ग) फर्नीचर और फिक्सचर	254		100	
<b>V. अन्य परिसंपत्तियां</b>				
(क) स्रोत पर काटा गया आयकर (प्रावधानों को घटाकर)	255		0	0
(ख) अग्रिम चुकाया गया कर (प्रावधानों को घटाकर)	256		0	0
(ग) सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्य ब्याज	257		0	0
(घ) अन्य (निर्दिष्ट करें)	258		100	
<b>कुल भारत परिसंपत्तियां (मद 210 से</b>	<b>200</b>			

258 जिन मद कोडों के पहले 'उप-जोड़' लिखा हो उसे शामिल न करें)				
--	--	--	--	--

**नोट :**

1. उन परिसंपत्तियों का निवलीकरण किया जाए जिनमें मूल्यहास या अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान किये गये हैं।
2. वित्तीय प्रभारों अर्थात् ब्याज तथा वसूली योग्य अन्य प्रभारों को घटाकर किराए पर स्टकों को दर्शाया जाए।
3. निवल स्वाधिकृत निधि की गणना के लिए जिन परिसंपत्तियों को स्वाधिकृत निधि से घटाया गया है उस पर भार "शून्य" होगा।
4. किसी उधारकर्ता के कुल बकाया जोखिमों के संबंध में वहाँ घटोत्तरी की जाए जहाँ नकदी मार्जिन/काशन मनी/सिक्युरिटी जमा पर समंजन का अधिकार उपलब्ध हो।

भाग- ड

भारित अनिधिक (non-funded) एक्सपोजर/तुलन पत्र से इतर मदें

मद नाम	मद कोड	बही मूल्य	परिवर्तन कारक	समतुल्य मूल्य	जोखिम भार	समायोजित मूल्य
1. वित्तीय और अन्य गारंटियां	310	-	100	-	100	-
2. शेयर/डिबेंचर हामीदारी देयताएं	320	-	50	-	100	-
3. आंशिक रूप से चुकता शेयर/ डिबेंचर	330	-	100	-	100	-
4. बिलों की पुनर्भुनाई	340	-	100	-	100	-
5. पट्टेदारी करार कर तो लिए गए हैं पर निष्पादिन होना बाकी है	350	-	100	-	100	-
6. अन्य आकस्मिक देयताएं (निर्दिष्ट करें)	360	-	50	-	100	-
कुल अनिधिक एक्सपोजर (मद 310 से 360)	300	-	-	-	-	-

टिप्पणी : परिवर्तन कारक लगाने के पहले नकदी मार्जिन/जमाराशियां घटायी जाएंगी।



**भाग - च**

**परिसंपत्ति वर्गीकरण**

**I. निम्नलिखित में वर्गीकृत ऋण जोखिमों का सकल योग:**

मद का नाम	मद कोड	राशि
(i) मानक परिसंपत्ति	411	
(ii) अवमानक परिसंपत्ति		
(क) पट्टेवाली और किराया खरीद परिसंपत्ति	412	
(ख) अन्य ऋण सुविधाएं	413	
(iii) संदिग्ध परिसंपत्तियां	414	
(iv) हानि परिसंपत्तियां	415	
<b>जोड़ (411 से 415)</b>	<b>410</b>	
नोट (मद 410 सीटी 200 से मेल खानी चाहिए)		

**II. निर्धारित निदेश के अनुसार उपर्युक्त I के संबंध में सकल प्रावधान**

मद का नाम	मद कोड	अपेक्षित प्रावधान	किए गए वास्तविक प्रावधान
(क) ऋण, अग्रिम तथा अन्य क्रेडिट सुविधाएं			
(i) अवमानक परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए [निदेश का पैरा 3(2)]	421		

<b>मद का नाम</b>	<b>मद कोड</b>	<b>अपेक्षित प्रावधान</b>	<b>किए गए वास्तविक प्रावधान</b>
(ख) बकाया शेष राशि का 10%	422		
<b>(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां</b>			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(2)]	423		
(ख) जमानत के वसूली योग्य मूल्य द्वारा पूर्ति नहीं हुई सीमा तक 100 प्रतिशत और परिसंपत्ति संदिग्ध रही अवधि तक जमानती भाग का 20 से 50 प्रतिशत।	424		
<b>(iii) हानिवाली परिसंपत्तियां</b>			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(2)]	425		
(ख) बकाया शेष राशि का 100%	426		
<b>जोड़ : (मद सं. 421 से 426)</b>	<b>उप-जोड़ 426</b>		
<b>(ख) किराया खरीद और पट्टेवाली परिसंपत्तियां</b>			

<b>मद का नाम</b>	<b>मद कोड</b>	<b>अपेक्षित प्रावधान</b>	<b>किए गए वास्तविक प्रावधान</b>
(i) अवमानक परिसंपत्तियां [निदेश का पैरा 9(2)]			
किराया खरीद परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	427		
(ख) कुल प्राप्त राशि और हासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	428		
(ग) निवल बही मूल्य का 10% [निदेश का पैरा 9(2)(ii) ]	429		
पट्टे पर दी हुई परिसंपत्तियां			
(घ) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में जमा की जाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	430		
(ड) निवल बही मूल्य का 10% [निदेश का पैरा 9(2)(ii) ]	431		
(ii) संदिग्ध परिसंपत्तियां			
किराया खरीद परिसंपत्तियां			

<b>मद का नाम</b>	<b>मद कोड</b>	<b>अपेक्षित प्रावधान</b>	<b>किए गए वास्तविक प्रावधान</b>
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	432		
(ख) कुल प्राप्य राशि और हासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	433		
(ग) निवल बही मूल्य का 40% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	434		
<u>पट्टेपर दी गई परिसंपत्तियां</u>			
(घ) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में जमा की जाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	435		
(ङ) निवल बही मूल्य का 40% [निदेश का पैरा 9(2) (ii)]	436		
<u>किराया खरीद परिसंपत्ति</u>			
(च) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	437		
(छ) कुल प्राप्य राशि और हासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	438		

<b>मद का नाम</b>	<b>मद कोड</b>	<b>अपेक्षित प्रावधान</b>	<b>किए गए वास्तविक प्रावधान</b>
(ज) निवल बही मूल्य का 70% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	439		
<u>पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां</u>			
(झ) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए।[निदेश का पैरा 3(4)]	440		
(ज) निवल बही मूल्य का 70% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	441		
(iii) हानिवाली परिसंपत्तियां			
<u>किराया खरीद परिसंपत्तियां</u>			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले पूरी राशि लाभ और हानि लेखा की जमा में ले जायी जाए। [निदेश का पैरा 3(3)]	442		
(ख) कुल प्राप्य राशि और हासित मूल्य के बीच की कमी [निदेश का पैरा 9(2)(i)]	443		
(ग) निवल बही मूल्य का 100% [निदेश का पैरा 9(2)(ii)]	444		

<b>मद का नाम</b>	<b>मद कोड</b>	<b>अपेक्षित प्रावधान</b>	<b>किए गए वास्तविक प्रावधान</b>
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां			
(क) परिसंपत्ति के अनर्जक परिसंपत्ति बनने और वसूल न हो पाने से पहले निवल पट्टा किराए की पूरी राशि लाभ और हानि लेखा में जमा की जाए। [निदेश का पैरा 3(4)]	445		
(ख) निवल बही मूल्य का 100% [निदेश के पैरा 9(2)(ii)]	446		
<b>उप-जोड़ : (मद सं. 427 से 446)</b>	<b>उप-जोड़ 446</b>		
<b>कुल प्रावधान (उप-जोड़ 426 + उप-जोड़ 446)</b>	<b>420</b>		
III. निम्नलिखित के संबंध में अन्य प्रावधान			
(i) अचल परिसंपत्तियों में मूल्यहास	451		
(ii) निवेशों में मूल्यहास	452		
(iii) हानि/अमूर्त परिसंपत्तियां	453		
(iv) कराधान हेतु प्रावधान	454		
(v) उपदान/भविष्य निधि	455		
(vi) अन्य (निर्दिष्ट करें)	456		
<b>जोड़</b>	<b>450</b>		

**भाग - छ**

**उसी समूह की कंपनियों/फर्मों और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों  
में निवेश और उन्हें प्रदत्त अग्रिमों से संबंधित ब्योरे**

मद का नाम	मद कोड	राशि
(i) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों को दिये गये ऋण और अग्रिमों का बकाया और उनके पास जमाराशियों और बांडों और डिबेंचरों के बही मूल्य (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं।	510	
(ii) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों तथा सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के शेयरों में निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	520	
(iii) अन्य कंपनियों, फर्मों और उन स्वामित्व प्रतिष्ठानों में, जिनमें कंपनी के निदेशकों के पर्याप्त हित शामिल हों, शेयरों, डिबेंचरों, ऋणों और अग्रिमों, पट्टा, किराया खरीद वित्त-पोषण, जमाराशि आदि के रूप में किया गया निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	530	

**भाग - ज**

**उपर्युक्त भाग 'छ' में शामिल-सहित पार्टियों को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर  
और निवेशों-सहित अग्रिमों के संकेंद्रीकरण से संबंधित ब्योरे**

मद का नाम	मद कूट	राशि
(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक किसी एक पार्टी को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर-सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	610	

मद का नाम	मद कूट	राशि
(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक समूह को तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर सहित दिए गए ऋण और अग्रिम (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	620	
(iii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 15 प्रतिशत से अधिक किसी एक कंपनी में किये गये निवेश (परिशिष्ट सं. में ब्योरे संलग्न किए जाएं)	630	
(iv) गैर-बैंकिंग कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक ही समूह की कंपनियों द्वारा जारी शेयरों में किये गये निवेश	640	
(v) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 25 प्रतिशत से अधिक किसी एक पार्टी को दिए गए ऋण और अग्रिमों (डिबेंचरों/बांडों और तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर सहित ) तथा उसके शेयरों में निवेश	650	
(vi) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 40 प्रतिशत से अधिक किसी एक समूह की पार्टियों को दिए गए ऋणों, अग्रिमों (डिबेंचरों/बांडों और तुलनपत्र से इतर एक्सपोजर-सहित) तथा उनके शेयरों में किये गये निवेश	660	

**नोट :**

1. एक्सपोजर की ये सारी सीमाएं गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अपने समूह के साथ-साथ उधारकर्ताओं/निवेशिती कंपनी समूह पर लागू होंगे।
2. इस प्रयोजन के लिए डिबेंचरों में किया गया निवेश ऋण माना जाएगा, न कि निवेश।



**भाग - झ**

**परिसर तथा अनुद्धत (अनकोटेड) शेयरों में किए गए निवेश से संबंधित ब्योरे**

मद का नाम	मद कूट	राशि
(i) कंपनी की स्वाधिकृत निधि के 10 प्रतिशत से अधिक अपने निजी उपयोग को छोड़कर (विवरणी के मद कोड 253 में से) परिसर (भूमि और भवन) में किया गया निवेश		
(क) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से अधिगृहीत	710	
(ख) अपने ऋण की क्षतिपूर्ति के लिए अधिगृहीत	720	
(ii) सहायक कंपनियों और उसी समूह की कंपनियों में (देखें मद कूट 141 तथा 142) निवेश को छोड़कर अनुद्धत शेयरों में निम्नलिखित से अधिक निवेश		
(क) उपकरण पट्टादायी एवं किराया खरीद (परिसंपत्ति वित्त) कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 10 प्रतिशत	730	
(ख) ऋण और निवेश कंपनियों के मामले में स्वाधिकृत निधि का 20 प्रतिशत	740	

**भाग - ज**

**गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा और इसके विरुद्ध दाखिल वाद तथा  
डिक्री प्राप्त ऋण के ब्योरे**

मद का नाम	मद कूट	राशि
<b>I</b>		
(i) ऋण, अग्रिम, अन्य ऋण सुविधाएं, पट्टेवाली परिसंपत्तियां और किराया खरीद परिसंपत्तियां जिनके लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने किसी न्यायालय में डिक्री प्राप्त ऋणों-सहित अपने बकाये की वसूली के लिए वाद दाखिल कर रखे हों:	810	
5 वर्ष से अधिक से विचाराधीन	811	
3 से 5 वर्ष तक	812	
1 से 3 वर्ष तक	813	
एक वर्ष से कम के लिए विचाराधीन	814	
(ii) उपर्युक्त (i) में से जिन ऋणों, अग्रिमों, अन्य ऋण सुविधाओं तथा किराया खरीद परिसंपत्तियों के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने डिक्री हासिल कर ली है	820	
(iii) वाद दाखिल/डिक्री प्राप्त ऋण (न्यायालय में जमा की गई राशि सहित) से हुई वसूली	830	
<b>II. कंपनी के विरुद्ध दाखिल वाद और डिक्रीप्राप्त</b>	840	

## -प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

- (1) इस विवरण में आय निर्धारण, लेखा मानक, परिसंपत्ति वर्गीकरण, अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, पूंजी पर्याप्तता और ऋण तथा निवेश के संकेंद्रण के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार ही आंकड़े/सूचना दी गई है। कंपनी के बही खातों तथा अन्य अभिलेखों से ही विवरण का संकलन किया गया है और मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार ये सही हैं;
- (2) कंपनी की परिसंपत्ति तथा आय के स्वरूप से प्राप्त साक्ष्य के अनुसार इसके प्रधान कारोबार के आधार पर रिजर्व बैंक ने इसे -----के रूप में वर्गीकृत किया है जो सही रूप में बकरार है/बरकरार नहीं है (जो लागू न हो उसे काट दें);
- (3) कंपनी ने जनता की जमाराशियां स्वीकार की हैं और ये जमाराशियां कंपनी के लिए लागू सीमाओं के तहत हैं;
- (4) कंपनी ने जमाराशि पर निदेशों में निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक ब्याज/दलाली का भुगतान नहीं किया है;
- (5) कंपनी ने परिपक्व जमाराशि की चुकौती में चूक नहीं की है;
- (6) मीयादी जमाराशि के लिए साख श्रेणी निर्धारण एजेंसी -----  
--(एजेंसी का नाम) ने -----(साख श्रेणी का स्तर/साख श्रेणी)  
प्रदान की है जो वैध है;
- (7) भाग घ, ड, और च में दिए गए ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए भाग ग की विवरणी में जिस पूंजी पर्याप्तता का प्रकटीकरण किया गया है उसकी सही गणना की गई है;
- (8) मार्च/सितंबर--- को समाप्त छमाही के दौरान ऋण, उपस्कर पट्टे, किराया खरीद वित्तपोषण और निवेश के साथ-साथ कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों से संबंधित सकल बकाया राशि को यह सुनिश्चित करने के लिए गणना में लिया जाता है कि

कंपनी के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को संबंधित अवधि के दौरान अनवरत आधार पर बनाए रखा गया है;

- (9) विवरणी के भाग च में यथा प्रकट परिसंपत्ति वर्गीकरण का सत्यापन किया गया और सही पाया गया। ऋणों, पट्टे और किराया खरीद लेनदेनों और देय तारीखों के बाद भुनाए गए बिलों का रोलओवर /पुनर्निर्धारण नहीं देखा गया है। अवमानक या संदिग्ध या हानिवाली परिसंपत्तियों का यदि उन्नयन किया गया है तो ऐसा गैर-बैंकिंग वित्तीय (जमा राशि स्वीकरण या धारण) कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिजर्व बैंक) निदेश, 2007 के अनुरूप किया गया है;
- (10) विवरणी के भाग छ में यथा प्रकट समूह कंपनियों में निवेश छमाही विवरणी के भाग ज में ऋण/निवेश संकेंद्रण मानदंडों से अधिक अलग-अलग व्यक्तियों/फर्मों अन्य कंपनियों को यथा प्रकट एक्सपोजर, विवरणी के भाग झ में परिसरों और अनुद्धृत शेयरों में यथा प्रकट निवेशों और विवरणी के भाग ज में कंपनी द्वारा और इसके विरुद्ध दाखिल वाद तथा डिक्रीप्राप्त ऋण के ब्योरे और ऐसी परिसंपत्तियों का वर्गीकरण सही है।

स्थान :

कंपनी के लिए तथा कंपनी की ओर से

दिनांक

(कंपनी का नाम)

प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी

## लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

हमने -----20--- की स्थिति के अनुसार पूंजीगत निधि, जोखिम परिसंपत्तियों/एक्सपोजर और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात आदि के संबंध में -----  
-----लिमिटेड द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य अभिलेखों तथा कंपनी के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिए गए उपर्युक्त विवरणों/प्रमाणपत्र की जांच की है। यादृच्छिक जांच के आधार पर, हम उपर्युक्त पैरा (8) में दिए गए विवरण को प्रमाणित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दी गई जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमें दिखाए गए अभिलेख और हमारे द्वारा की गयी उनकी जांच के अनुसार उपर्युक्त विवरण के भाग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ और ञ में दर्शाए गए आंकड़े सही हैं।

स्थान :

दिनांक :

सांविधिक लेखा परीक्षक